सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 श्रावण, 1947 (श०)

संख्या - 402 राँची, बुधवार, 20 अगस्त, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

15 जुलाई, 2025

संख्या-5/आरोप-1-47/2017 का०- 4175--श्री बैजनाथ राम, सेवानिवृत्त (कोटि क्रमांक-559/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पालकोट, गुमला के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-682, दिनांक 07.03.2017 के माध्यम से उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, गुमला के पत्रांक-1287(ii)/म०को०, दिनांक 20.12.2016 द्वारा आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में श्री राम के विरूद्ध मनरेगा अन्तर्गत मुख्य प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, मनरेगा कानून का उल्लंघन करने, प्रखण्ड अन्तर्गत क्रियान्वित वृक्षारोपण एवं अन्य प्रकार की योजनाओं का सही ढंग से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं करने एवं सरकारी राशि के गबन/दुरुपयोग में स्वयंसेवी संस्थाओं को सहयोग करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-6433, दिनांक 23.05.2017 द्वारा श्री राम से स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री राम के पत्रांक-4616, दिनांक 28.12.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री राम के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-423, दिनांक 15.01.2018 द्वारा उपायुक्त, गुमला से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-494, दिनांक 15.05.2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया। श्री राम द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के कई बिन्दुओं पर उपायुक्त, गुमला द्वारा असहमति प्रतिवेदित की गई है। ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1247, दिनांक 02.05.2019 द्वारा भी उपायुक्त गुमला से प्राप्त मंतव्य पर विभाग की सहमति प्रतिवेदित की गई ।

श्री राम के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, गुमला तथा ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-4882, दिनांक 20.06.2019 द्वारा श्री राम के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-328, दिनांक 29.11.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध गठित आरोप सही नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया ।

श्री राम के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी है। समीक्षा में पाया गया है कि-

(i) स्वयंसेवी संस्थाओं को कार्यादेश/एकरारनामा एवं राशि विमुक्ति संबंधी आदेश श्री राम के प्रखंड विकास पदाधिकारी, पालकोट का प्रभार ग्रहण करने के पूर्व निर्गत किया गया, किन्तु उनके दिनांक 06.12.2007 से 20.01.2010 तक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पालकोट के प्रभार अवधि में प्रखण्ड में संचालित वृक्षारोपण योजनओं की कोई जानकारी नहीं रही होगी, यह तथ्य ग्राह्य प्रतीत नहीं होता है ।

(ii) मनरेगा अंतर्गत मुख्य प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी होने के नाते यदि जिला स्तर से निर्गत प्रश्नगत योजनाओं के स्वीकृत्यादेश की प्रति श्री राम के संज्ञान में नहीं भी थी तो भी इनके द्वारा जिला से सम्पर्क स्थापित कर उन योजनाओं की स्वीकृत्यादेश की प्रति प्राप्त किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए था। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं मुख्य प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में उन्हें यह निश्चित रूप से ध्यान में रखना चाहिए था कि मनरेगा अन्तर्गत उनके प्रखण्ड में कौन-कौन सी योजना कार्यान्वित है ।

(iii) मनरेगा अंतर्गत मुख्य प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी होने के नाते प्रखण्ड अंतर्गत संचालित योजनाओं के पर्यवेक्षणीय दायित्वों से वो मुक्त नहीं हो सकते एवं इस बिन्दु पर संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। श्री राम द्वारा प्रश्नगत योजनाओं से संबंधित कोई निरीक्षण प्रतिवेदन जिला मुख्यालय को भेजे जाने संबंधी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है ।

(iv) मुख्य प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में प्रखण्ड अन्तर्गत मनरेगा से क्रियान्वित सभी योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन करना इनका महत्वपूर्ण दायित्व था जिसका निर्वहन नहीं किया गया है ।

समीक्षोपरांत विभागीय जाँच पदाधिकारी के मंतव्य से आंशिक रूप से असहमत होते हुए श्री राम के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम- 43(ख) के अन्तर्गत पेंशन से 10% राशि की कटौती तीन वर्षों तक करने का दण्ड प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-6396, दिनांक 10.11.2023 एवं स्मार पत्रों द्वारा श्री राम से कारण पृच्छा की माँग की गयी। श्री राम के पत्रांक-01, दिनांक 14.02.2024 द्वारा कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया है। समर्पित कारण पृच्छा में इनके द्वारा निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है

(क) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पालकोट, गुमला के रूप में इनका कार्यकाल दिनांक 06.12.2007 से 20.12.2010 तक रहा है। मनरेगा योजना अन्तर्गत वृक्षारोपण के कार्यान्वयन हेतु स्वयं सेवा संस्थाओं का चयन उसका MoU का निष्पादन जिला अभिकरण स्तर से सम्पन्न किया गया था तथा योजनाओं का तकनीकी पर्यवेक्षण, निरीक्षण का कार्य जिला कृषि पदाधिकारी एवं उद्यान पदाधिकारी, गुमला के जिम्मे था। इसमें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का कही भी संलिप्तता नहीं थी। स्वयं सेवा संस्थाओं का चयन एवं MoU इनके पदस्थापन काल से पूर्व हुए थे।

(ख) गठित आरोप के विरूद्ध पूर्व में इनके द्वारा विस्तृत कारण पृच्छा विभाग एवं जाँच पदाधिकारी को समर्पित की गई है। जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में इनके उपर गठित आरोप को सही नहीं ठहराया गया है। उक्त वृक्षा रोपण योजना न इनके द्वारा संचालित किया गया है और न ही निवेश किया गया है। फलतः ये पूर्णतः निर्दोष है। उक्त परिप्रेक्ष्य में पेंशन से 10% राशि की कटौती करना न्यायोचित नहीं है तथा नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है ।

(ग) वर्ष दिसम्बर 2021 में इनका ओपेन हार्ट सर्जरी हुआ है तथा ये सुगर पेशेंट भी हैं। इनको हमेशा डॉक्टर के Observation एवं जीवन रक्षक दवाओं पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसमें पेंशन राशि का अधिकांश भाग व्यय हो जाता है एवं इनके पारिवारिक भरण पोषण पेंशन पर ही निर्भर है ।

श्री राम द्वारा समर्पित कारण पृच्छा की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत उनके द्वारा समर्पित कारण पृच्छा पर विचार करते हुए पूर्व में उनके विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के अन्तर्गत पेंशन से 10% राशि की कटौती तीन वर्षों तक करने का प्रस्तावित दण्ड को संशोधित करते हुए उक्त नियमावली के नियम-43(ख) के तहत् पेंशन से 10% राशि की कटौती एक वर्ष तक करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया ।

उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक-4225, दिनांक 27.06.2024 एवं स्मार पत्रों द्वारा श्री राम के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत् पेंशन से 10% राशि की कटौती एक वर्ष तक करने का दण्ड अधिरोपित करने पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से सहमति की माँग की गई। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-1416, दिनांक 19.06.2025 द्वारा उक्त दण्ड अधिरोपण पर सहमति प्रदान की गई है ।

अतः समीक्षोपरांत, श्री बैजनाथ राम, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-559/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पालकोट, गुमला के विरुद्ध **झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत् उनके पेंशन से 10% राशि की कटौती एक वर्ष तक करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।**

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री बैजनाथ राम, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 402 - 50